भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3781**

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

**पंचायती राज संस्थाएं**

3781. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की देश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और वहां 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत सचिवालयों की स्थापना हेतु कोई समयबद्ध योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोई अतिरिक्त अथवा विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जो भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते है। संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद् गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के

अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विधि द्वारा निर्दिष्ट है, समनुदिष्ट कर सकता है।

हालांकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों तथा स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आर.एल.बी.) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है। राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चौदहवें वित्त आयोग से सोलहवें वित्त आयोग तक केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान में लगातार वृद्धि हो रही है। चौदहवें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-16) के अंतर्गत आवंटन ₹2,00,29.20 करोड़ था, जबकि सोलहवें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2026-31) के अंतर्गत आवंटन बढ़ाकर ₹4,35,236 करोड़ कर दिया गया है — जो चौदहवें वित्त आयोग के आवंटन की तुलना में लगभग दो गुना वृद्धि को दर्शाता है।

हालाँकि, सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व-सृजन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और बाहरी वित्तीय सहायता पर कम निर्भर रहें।

पंचायती राज मंत्रालय ने आई.आई.एम. अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मज़बूत बनाने के लिए 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (ओ.एस.आर.) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों के माध्यम से ओ.एस.आर. कैसे उत्पन्न होता है। दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के तहत, 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (ओ.एस.आर.) पर निर्मित विशेष मॉड्यूल के ज़रिए कुल 2,75,893 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2025 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ.एस.आर.) को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार' (ए.एन.पी.एस.ए.) शुरू किया।

पंचायती राज मंत्रालय ने 'समर्थ पंचायत पोर्टल' भी विकसित किया है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कर और गैर-कर मांगों के सृजन और संग्रह, कर रजिस्टर के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वयं के राजस्व (Own Source Revenue) के विधिक एवं संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 'स्वयं के राजस्व हेतु मॉडल नियम' तैयार किए हैं, जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विचारार्थ मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये मॉडल नियम परामर्शात्मक प्रकृति के हैं तथा पंचायतों के स्वयं के राजस्व ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी विद्यमान विधिक प्रावधानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉडल नियमों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपनाने, अनुकूलित करने अथवा संशोधित करने का विकल्प रख सकते हैं।

अप्रैल, 2020 में शुरू की गई स्वामित्व (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण) योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति करों के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जिससे अंततः आर.एल.बी. के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत ज़्यादा इकट्ठा होता है और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं।

पंचायत, 'स्थानीय स्वशासन' होने के नाते राज्य का विषय है तथा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)' नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता को सुदृढ़ करना है, जिसके अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs), पंचायत पदाधिकारियों तथा अन्य हित धारकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी शासन क्षमता को नेतृत्व भूमिकाओं हेतु विकसित किया जाता है, जिससे ग्राम पंचायतें एवं स्थानीय निकाय सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, योजना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सीमित स्तर पर पंचायत अवसंरचना जैसे ग्राम पंचायत भवन के लिए भी सहयोग प्रदान करती है, ताकि पंचायतों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 6,536 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है।

ग्राम पंचायतों को अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 'भारतनेट' कार्यक्रम का क्रियान्वयन दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतनेट परियोजना के अंतर्गत देशभर की 2.21 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा-उपयुक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्क उन्नयन एवं विस्तार की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है।

***